2A/4

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – कैलाशचन्द्र शर्मा, आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 322/2013
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. अमित एवं
2. कामना आत्मजन श्री गोपीराम जाट, साहूवाला अव्यस्करण द्वारा माता श्रीमती रोशनी धर्मपत्नी गोपीराम, जाट, साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.......वादीगण

बनाम

1. गोपीराम आत्मज श्री रामलाल, जाट, साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

.....प्रतिवादीगण

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर सत्यमेव जयते

उपस्थित– श्री मोहनलाल माहर (वादी)
पैरोकार राज (प्रतिवादी संख्या 2)

दिनांक 05 नवम्बर, 2014

– निर्णय –

वादपत्र के अनुसार वादीगण के पड़दादा श्री जीराज की मृत्योपरान्त दिनांक 27 अप्रेल, 1958 को श्री रामलाल एवं श्री बृजलाल को बहिस्सा बराबर बराबर पैतृतक 27.12 बीघा कृषि भूमि प्राप्त हुई. जिसमें वादीगण के दादा श्री रामलाल को 13.16 बीघा कृषि भूमि पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त हुई. इस प्रकार प्रश्नगत कृषि भूमि वादीगण के पिता की पैतृक सम्पत्ति है. श्री रामलाल ने अपने जीवनकाल में ही पैतृक सम्पत्ति स्वरूप उक्तांकि 13.16 बीघा कृषि भूमि को दिनांक 13 अक्तूबर, 1967 को हस्तान्तरण कर दिया गया. इसी दिनांक 13 अक्तूबर, 1967 को ही प्रतिवादी संख्या 1 श्री गोपीराम के अलावा श्री हंसराज, श्री ओमप्रकाश एवं श्री मदनलाल एवं श्री कृष्णलाल के नाम से 5–5 बीघा पंजीबद्व बैयनामा द्वारा कय कर दे दी गयी. श्री गोपीराम को चक 2 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 5 किला नम्बर 21 से 25 बीघा कय कर दी गयी. स्वयं श्री रामलाल द्वारा भी चक 1 एफ छोटी में 12.10 बीघा कृषि भूमि कय की गयी. श्री रामलाल को दिनांक 27 नवम्बर, 2008 को स्वर्गवास हो गया है. मृतक श्री रामलाल की खातेदारी कृषि भूमि का पारिवारिक व्यवस्था बनाये रखने हेतु मौखिक बंटवारा को कानूनी रूप देने के लिये प्रतिवादी संख्या 1 के भाई श्री हंसराज द्वारा दिनांक 14 जून, 2011 को वादपत्र के जरिये चक 2 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 5 किला नम्बर 16 से 20 कुल 1.265 हैक्टर में से किला नम्बर 17(0.089) किला नम्बर 18, 19, 20(0.759) हैक्टर कुल 0.848 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को दे दी

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

2A/5

थी जिसका राजस्व अभिलेखों में नामान्तरकरण संख्या 270 दिनांक 04 अगस्त, 2011 को किया जा चुका है. इस प्रकार वर्तमान में वादीगण के पिता (प्रतिवादी संख्या 1) के नाम चक 2 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 5 किला नम्बर 18 से 25 प्रत्येक 0.253) हैक्टर, किला नम्बर 17(0.089) कुल 8.08 बीघा राजस्व अभिलेखों में खातेदारी दर्ज है. जो पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादीगण का जन्म से ही हक एवं अधिकार है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के जीवनकाल में ही प्रश्नगत कृषि भूमि में 1/3–1/3 हिससा प्राप्त करने के अधिकारी हैं. प्रतिवादी संख्या 1 की कई माह से मानसिक स्थिति सही नहीं है जो कभी परिवार वालों को आत्मदाह करने की धमकी देता है तो कभी मानसिक स्थिति सही होने पर वादी की माता को राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाना पड़ता है. इस प्रकार प्रतिवादी कभी भी कहीं भी प्रश्नगत कृषि भूमि को बंधक, विकय अथवा अन्तरित कर सकता है और वादीगण को उनके विधिक एवं वैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा सकता है. इस प्रकार प्रश्नगत कृषि भूमि चक 2 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 5 किला नम्बर 18 से 25 प्रत्येक 0.253) हैक्टर, किला नम्बर 17(0.089) कुल 8.08 बीघा अर्थात 2.113 हैक्टर में से वादीगण के पक्ष में प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी घोषणा एवं खाता विभाजन हेतु निवेदन किया गया. वादपत्र के तथ्यों के समर्थन में चक 2 एफ छोटी पटवार मण्डल 18 जी.जी. भू.अ.निरीक्षण क्षेत्र बुर्जवाली की जमाबन्द सम्बत् 2066–2069 की प्रमाणित प्रति, श्री रामलाल का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 2008 एवं श्री गोपीराम की राजकीय चिकित्सालय, श्रीगंगानगर द्वारा जारी डिस्चार्ज टिकट की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

श्री सन्तराम द्वारा अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश बत्तरा के माध्यम से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत ओदश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता प्रस्तुत किया गया कि श्री गोपीराम के नाम से चक 2 एफ छोटी तहसील श्रीगंगानगर के मुरब्बा नम्बर 5 में किला नम्बर 17 में 0.07 बीघा किला नम्बर 18 से 25 कुल 8.00 बीघा कृषि भूमि को विकय करने का इकरारनामा दिनांक 29 जुलाई, 2011 को किया गया था जिसका कब्जा आवेदक के पास चला आ रहा है. इसलिये विचाराधीन प्रकरण में पारित होने वाले निर्णय का आवेदक के अधिकारों पर सीधा प्रभाव होगा. इसलिये आवेदक द्वारा प्रकरण में आवश्यक पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में श्री गोपीराम द्वारा निष्पादित इकरारनामादिनांक 29 जुलाई, 2011 की चित्रित संलग्न प्रस्तुत की गयी. जिस पर अधिवक्तागण की बहस सुनी जाकर अपंजीकृत इकरारनामा जिसमें विकय विलेख की निश्चित तिथि 15 जनवरी, 2012 व्यतीत होने के कारण आवेदनपत्र अन्तर्गत ओदश 1 नियम 10 सपठित धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किया गया.

दिनांक 07 अक्तूबर, 2013 को प्रतिवादी संख्या 1 की अनुपस्थिति के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्व एक पक्षीय

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

2A/6

कार्यवाही की गयी. प्रतिवादी संख्या 2 राज्य पक्ष की ओर से जवाब वादपत्र दिनांक 12 सितम्बर, 2013 एवं दिनांक 13 फरवरी, 2014 को प्रस्तुत किया गया.

पक्षकारान के मध्य विवाद के विनिचय हेतु निम्नलिखित विवाद्यक निर्धारित किये गये –

1. क्या चक 2 एफछोटी के मुरब्बा नम्बर 17(0.89) एवं किला नम्बर 18 से 25 सालम कुल 2.113 हैक्टर पक्षकारान की पैतृक सम्पत्ति है? ....वादीगण
2. क्या वादीगण अपने अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं? .....वादीगण
3. अनुतोष?

उक्त विवाद्यकों के विनिचय हेतु वादीगण अमित आत्मज श्री गोपीराम एवं कामना आत्मजा श्री गोपीराम अव्यस्कगण द्वारा माता रोशनी धर्मपत्नी श्री गोपीराम द्वारा साक्ष्य स्वरूप प्रमाणित शपथपत्र प्रस्तुत किया गया. जिसके तथ्यों के समर्थन में चक 3 एफ छोटी के नामान्तरकरण संख्या 48, नामान्तरकरण संख्या 6, नामान्तरकरण संख्या 7, नामान्तरकरण संख्या 23 की प्रमाणित प्रतियां, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 13 मार्च, 1967, दस्तावेज बैयनामा दिनांक 13 जून, 1967 की चित्रित प्रतियां एवं नामान्तरकरण संख्या 23 की प्रमाणित प्रति संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अधिवक्ता वादीगण एवं पैरोकार राज द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

चक 2 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 5 किला नम्बर 18 से 25 प्रत्येक 0.253) हैक्टर, किला नम्बर 17(0.089) कुल 8.08 बीघा अर्थात 2.113 हैक्टर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कृषि भूमि होने के कारण वादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक को चक 2 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 5 किला नम्बर 18 से 25 प्रत्येक 0.253) हैक्टर, किला नम्बर 17(0.089) कुल 8.08 बीघा अर्थात 2.113 हैक्टर में 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी घोषित की जाती है. वाद व्यय पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे. यथा डिक्री जारी हो.

निर्णय पक्षकारान के अधिवक्तागण की उपस्थिति में आज दिनांक 05 नवम्बर, 2014 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(कैलाशचन्द शर्मा)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट ट्रैक) श्रीगंगानगर

2A/4

डिक्री

(order 20 rule 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – कैलाशचन्द्र शर्मा, आर.ए.एस.

1. अमित एवं
2. कामना आत्मजन श्री गोपीराम जाट, साहूवाला अव्यस्करण द्वारा माता श्रीमती रोशनी धर्मपत्नी गोपीराम, जाट, साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर

.......वादीगण

बनाम

1. गोपीराम आत्मज श्री रामलाल, जाट, साहूवाला तहसील व जिला श्रीगंगानगर एवं
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर.

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र संख्या 322/2013
अन्तर्गत धारा 88, 53 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी अधिवक्ता श्री मोहनलाल माहर एवं पैरोकार राज (प्रतिवादी सं.2) की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –

वादीगण संख्या 1 व 2 प्रत्येक को चक 2 एफ छोटी के मुरब्बा नम्बर 5 किला नम्बर 18 से 25 प्रत्येक 0.253) हैक्टर, किला नम्बर 17(0.089) कुल 8.08 बीघा अर्थात 2.113 हैक्टर में 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी घोषित की जाती है.

रूपये शून्य .वास्ते शून्य .खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज शून्य दर वार्षिक शून्य आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 05 नवम्बर, 2014 को जारी की गयी.

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	00.00	कुल	00.00